

कार्यालय कलेक्टर, जिला-विदिशा (म.प्र.)

दूरभाष (कार्या.) 07592-234520, (नि.) 07592-234530, (फैक्स.) 07592-237854

ई-मेल dmvidisha@nic.in

पत्र क्रमांक / क्यू-रीडर /
प्रति,

विदिशा, दिनांक / 02 / 2019

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वन मंडल
विदिशा।

विषय :- विदिशा जिले की सिरोंज तहसील की सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई योजना से प्रभावित वन भूमि 70.88 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु सिरोंज तहसील के ग्राम-साकलोन एवं धरमपुर की आवंटित शासकीय भूमि के संबंध में।

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्रमांक माचि/572 विदिशा दिनांक 23/05/2018.

—00000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिले की सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई योजना अर्न्तगत प्रभावित वन भूमि के उपयोग का स्टेज-। वन प्रकरण लम्बे समय से लंबित है।

आपके पत्र अनुसार उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि का का संयुक्त निरीक्षण राजस्व, सिंचाई एवं वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाकर भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई है एवं तदनुसार भूमि आवंटित की जाकर भूमि का नामान्तरण वन विभाग के नामे किया जा चुका है।

स्टेज-। वन प्रकरण की आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटित की जाकर भूमि का नामान्तरण वन विभाग के नामे किया जा चुका है एवं आवंटित एवं नामान्तरित भूमि के किसी हिस्से में यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसे हटाने की कार्यवाही स्टेज-।। के समय करवाई जावेगी। अतः तदनुसार वन भूमि के उपयोग के स्टेज-। वन प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करे।

सहपत्र :- आवंटन आदेश की प्रति।

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
कलेक्टर
जिला-विदिशा.

पृष्ठां. क्रमांक 02-3 / क्यू-रीडर /
प्रतिलिपि :-

विदिशा, दिनांक 15/02/2019.

1. मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, भोपाल की ओर कार्यपालन यंत्री के संदर्भित पत्र अनुसार सुचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, भोपाल की ओर कार्यपालन यंत्री के संदर्भित पत्र अनुसार सुचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा की ओर सुचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र :- शून्य।

कलेक्टर
जिला-विदिशा.

